[20/12/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 694]

परिशिष्ट–अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 694

- म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 05 जून, 2018 में कण्डिका 1.1 में उल्लेख है, कि राज्य शान के विभिन्न विभागों के अनुमोदित प्रशासकीय सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाए तथा कण्डिका 1.15 में विभागों को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन किये जाने का उल्लेख है।
- म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र कमांक सी–5–2/ 2018/1/3 दिनांक 05 जून, 2018 को जारी नीति निर्देश में संविदा कर्मचारियों को सीधे नियमित पद पर नियुक्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है। कण्डिका 1.8 में यह उल्लेखित है, कि किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है, कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किये जाने के अवसर दिये जायें। इसी नीति निर्देश की कण्डिका 1.10 व 1. 11 भी अवलोकनीय है,जिसमें उल्लेख है, कि संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किये गये सीधी भरती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रकिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रकिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटआफ अंक निर्धारित किये जायेंगें। संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु,आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र कमांक/सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 25 जुलाई, 2018 जारी किया गया है, जिसमें पूर्व में जारी पत्र दिनांक 05 जून,2018 को जारी निर्देश की कण्डिका 1.4 जिसमें प्रत्येक विभाग के भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के लिए आरक्षित रखने एवं कण्डिका कमांक 1.15 अनुसार विभागों को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन किये जाने से संबंधित है। उक्त कण्डिकायें शासन के विभिन्न विभागों जहॉ पर भर्तीयां की जावेंगी, से संबंधित है।

(के.त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग